



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215565
CG-DL-E-18012020-215565

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]
No. 233]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2020/पौष 27, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2020/PAUSHA 27, 1941

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020

का.आ. 244(अ).—कयर उद्योग नियमावली, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे, सांसद, राज्यसभा को दिनांक 21 फरवरी, 2022 तक की अवधि के लिए अथवा उनके सदन के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कयर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, और उक्त उद्देश्य के लिए भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की दिनांक 22 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1019(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त अधिसूचना में, तालिका में, "खंड 4 के उप-खंड 3 के खंड (च) के अंतर्गत नियुक्ति" प्रविष्टि पूर्व निम्नलिखित को रखा जाएगा, नामतः:-

"खंड 4 के उप-खंड 3 के खंड (ड.) के अंतर्गत नियुक्ति:

1. डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे, सदस्य, राज्यसभा, बंगला संख्या 8, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

—

सदस्य ।"

[फा. सं. 6(5)/2018-कयर]

सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2019 की सं. का.आ.1019(अ) संख्या के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2020

S.O. 244(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe, Member of Parliament, Rajya Sabha to be a Member of the Coir Board for a period up to 21st February, 2022 or till he ceases to be a member of the House whichever is earlier, with effect from the date of publication of this notification in the official gazette and for said purpose, makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1019(E) dated the 22nd February, 2019, namely:-

2. In the said notification, in the table, before the entry “Appointed under clause (f) of sub-section (3) of section 4,” the following shall be inserted, namely:-

“Appointed under Clause (e) of sub-section 3 of section 4:

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. Dr, Vinay P. Sahasrabuddhe, Member, Rajya Sabha, Bungalow No. 8, Ashoka Road,
New Delhi-110001 | — | Member.” |
|--|---|----------|

[F. No. 6(5)/2018-Coir]

SUDHIR GARG, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1019(E) dated the 25th February, 2019